<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 27/09/2017 को आयोजित 134वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 134वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्रीमति पापिया सेन गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री सांवर लाल वर्मा, संयुक्त सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, श्री शरद मेहरा, निदेशक, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, श्री बी. एस. जाट, संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार, श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री ए.के. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आर.के.थानवी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, इंडिया पोस्ट, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होने बताया कि देश की जीडीपी में राजस्थान राज्य का प्रमुख योगदान है जो करीब 7.67 लाख करोड़ है. राज्य के आर्थिक विकास में कृषि का प्रमुख योगदान है एवं इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है तथा कृषि के अलावा एमएसएमई एवं पर्यटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है. औद्योगिक, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विकास में गति लाने के लिए पिछले कुछ वर्षो में राज्य सरकार द्वारा कई पहल/प्रयत्न किए गये हैं जिसमें से प्रमुख माह अगस्त 2017 में कोटा जिलें में आयोजित किया गया Digi Fest 2017 हैं। Digi Fest अपनी तरह का एक अभिनव (Innovative) उत्सव है जिसमें उभरते हुए उद्यमियों, आईटी एवं ई-गवर्नेंस के क्षेत्र से शुरू होने वाली खोज को समेकित किया गया है। उक्त डीजीफेस्ट में स्टार्टअप, कॉर्पोरेट्स, डोमेन विशेषज्ञों व उद्यम पूंजीपतियों के लिए भारत भर से अपने आदर्श विचारों (Novel Idea), अनुभवों का प्रदर्शन, नवाचारों को साझा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक मंच प्रदान किया गया. इसके अलावा Digi Fest में सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करायी गयी हैं.

Digi Fest कोटा के दौरान 24 घंटे की नॉन-स्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग 'Hackathon 2017' प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें पूरे भारत वर्ष से विभिन्न टीमों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. विभिन्न प्लेटफार्मों यथा भामाशाह, ई-मित्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, एआर / वीआर एवं ब्लॉकचैन पर

आने वाली चुनौतियों को हल के लिए वास्तविक समय (Real Time) पर समाधान प्रदान किए गए. उक्त समारोह दौरान राजस्थान में स्टार्टअप, उद्यमिता, ई-गवर्नेंस से संबंधित विषयों पर बौद्धिक बातचीत, वर्कशॉप, पैनल चर्चा और सलाह सत्र भी शामिल किये गए. राज्य में बैंकों की सक्रिय भागीदारी होने के कारण विभिन्न मापदंडों के निर्धारित सेट बेंच मार्क के सापेक्ष उपलब्धियां अधिक अर्जित हुई हैं.

जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़ोर दे रही है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में डिजिटल भुगतान के लिए राशि रू 2500 करोड़ के लक्ष्य के तहत राजस्थान राज्य को राशि रू 129 करोड़ का लक्ष्य आवंटित किए गया है. राजस्थान सरकार सभी बैंकों के सहयोग से एनपीसीआई (NPCI) ईको सिस्टम स्थापित कर रही है जिसमे सरकार के सभी डिलीवरी कियोस्क एवं मर्चेन्ट के द्वारा सभी तरह के डिजिटल भुगतान स्वीकार होंगे. राजस्थान सरकार द्वारा ईको सिस्टम के अंतर्गत आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए विभिन्न मर्चेन्ट को 10,000 टेबलेट्स, आधार बेसड़ भुगतान स्वीकार करने के लिए विभिन्न मर्चेन्ट को 1 लाख सिंगल फिंगर प्रिंट स्केनर एवं विभिन्न बैंकों के बी सी को 15,000 माइक्रो एटीएम प्रदान किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के भुगतानों की सुविधा के लिए राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म की स्थापना की अनूठी पहल राजस्थान सरकार द्वारा की गई है.

अध्यक्षीय उद्बोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था में काफी अनिश्चितता का सामना करना पड रहा है
- आईएमएफ़ के अनुमान के अनुसार 2018 की वैश्विक GDP 3.6% रहने की संभावना है.
- उन्नत/विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था वृद्धि की संभावना 1.9% होने की एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 4.80% होने की संभावना है.
- इन सभी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, भारत विश्व आर्थिक परिदृश्य में एक 'उज्ज्वल स्थान' के रूप में खड़ा हैं. वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.75% से 7.50% के मध्य रहने की संभावना है.
- एनसीएईआर ने (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च)सामान्य मानसून के चलते चालू वित्त वर्ष के लिए देश के आर्थिक विकास के लिए पूर्वानुमान %7.3में संशोधन करते हुए 7.6% का अनुमान किया गया है.
- उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने एक व्यक्तव्य में कहा है कि नीति आयोग द्वारा एक त्रि-वर्षीय योजना बनायी गयी है जो उद्योगों को बढ़ावा देगी एवं अन्य क्षेत्रों यथा कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार लाकर विकास की गति को भी तेजी देगी जो कि वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ होने की संभावना है.
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट के लक्ष्य राशि रू 10 लाख करोड़ रखी गयी है.
- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गयी है जिसमें वर्ष 2016-17 में 30%, 2017-18 में 40% एवं 2018-19 में 50% फ़सली क्षेत्र कवरेज किये जाने का लक्ष्य रखा गया है.

भारत सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में देश के आर्थिक सुधारों के लिए किये गये कार्य यथा GST बिल एवं विमुद्रीकरण देश हित में ऐतिहासिक निर्णय है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय भी महत्वपूर्ण निर्णय है.

साथ ही उन्होने बताया कि अर्थशोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money-laundering Act) की 01 जून 2017 की गजट अधिसूचना के अनुसार यदि किसी ग्राहक का बैंक/ वित्तीय संस्था में खाता है एवं 31 दिसम्बर 2017 से पूर्व आधार संख्या व स्थायी खाता संख्या बैंक/ वित्तीय संस्था में जमा नहीं होने की स्थिति में उक्त खाते का संचालन बंद कर दिया जावेगा. इसलिए सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि दिसंबर, 2017 तक सभी खातों के लिए आधार संख्या प्रमाणित (Authenticate) करें, नहीं तो ऐसे खातों का आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या जमा नहीं होने की स्थिति तक संचालन बंद कर दिया जावेगा.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के जून 17 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री राजीव शर्मा** ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **133** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी.

श्री आर. के. थानवी, महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सुझाव दिया कि 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने हेतु एक प्रारूप डिजाइन करने हेतु नाबार्ड, आरबीआई, एसएलबीसी, कृषि एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से मंत्रणा करने हेतु बैठक आयोजित करने हेतु सदन से अनुरोध किया.

श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने उक्त प्रकरण के चर्चा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति का गठन करने एवं उक्त मुद्दे की विस्तृत चर्चा करने के लिए उपसमिति बैठक का आयोजन करने हेतु अनुरोध किया.

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) **133** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु:-

<u>ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना</u>

महाप्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि बैंक के द्वारा 42 ऑन साइट एटीएम स्थापित कर दिये गए हैं. शेष शाखाओं में ऑन साइट एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव प्रयोजक बैंक को प्रेषित कर दिया गया हैं एवं 48 एटीएम स्थापना के लिए राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया है तथा सितंबर 2017 तक कुल 100 शाखाओं में एटीएम की स्थापना किए जाने से भी सूचित किया है. **(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)**

महाप्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि 15 एटीएम की स्थापना कर सक्रिय कर दिये गए है एवं शेष शाखाओं में एटीएम स्थापित करने की कार्यवाही के प्रक्रियाधीन होने से सूचित किया. **(कार्यवाही: आरएमजीबी)**

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अन्य बैंकों से अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना करने के बिन्दु को अनुपालनार्थ नोट किए जाने से अनुरोध किया. जून 2017 तक राज्य में 7548 बैंक शाखाओं के सापेक्ष में 4847 ऑन-साईट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है जिसका विस्तृत विवरण बैठक के कार्यसूची विवरण में दिया गया है.

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट कॉ-ओपरेटिव बैंक ने बताया कि उनके बैंक के द्वारा 285 एटीएम के क्रयादेश जारी कर दिये गए है एवं 75 एटीएम स्थापित हो चुके है जिसमें से 41 एटीएम सक्रिय हो गए है.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि एटीएम की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (आरएसएलडीबी) को हटाया जावें. साथ ही उन्होने अवगत करवाया कि नाबार्ड के एफ़आईएफ़ से सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंकों को एटीएम एवं माइक्रो एटीएम स्थापित करने के लिए निधि पूर्व में ही स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2017 को आयोजित बैठक में भी प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान स्टेट कॉ-ओपरेटिव बैंक को शीघ्र ही एटीएम स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए हैं.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि आरएमजीबी द्वारा नाबार्ड के एफ़आईएफ़ के तहत स्वीकृत निधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है. उन्होने आरएमजीबी को एफ़आईएफ़ निधि का पूर्ण उपयोग करने के निर्देश दिये. साथ ही उन्होने बताया कि पीएनबी एवं एक्सिस बैंक द्वारा लगातार एटीएम को बंद किए जा रहे हैं जिनका कारण स्पष्ट करने के लिए नियंत्रक, पीएनबी एवं एक्सिस बैंक को निर्देश प्रदान किए.

प्रतिनिधि पीएनबी ने बताया कि उक्त एटीएम ऑफसाइट हैं एवं व्यवहार्यता (Viability) नहीं आने के कारण बंद किए जा रहे हैं.

संयोजक, एसएलबीसी ने कहा कि ऑफसाइट एटीएम को बंद किए जाने की कार्यवाही करने से पूर्व इन एटीएम को ऑन साइट स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं.

(कार्यवाही: पीएनबी एवं एक्सिस बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंको से अनुरोध किया कि बैंक अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने की कार्ययोजना को एसएलबीसी कार्यालय को भिजवाएं.

(कार्यवाही: नियंत्रक संबन्धित बैंक, राजस्थान)

<u>आरसेटी (RSETI) को भूमि आवंटन</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्तमान में 35 आरसेटी/रूडसेटी परिचालन में हैं जिनमें से 11 आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से लंबित चल रहे हैं. निम्नलिखित भूमि आवंटन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही कर जल्द निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

आरसेटी, अलवर (PNB): पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि आरसेटी, अलवर हेतु सचिव, यू. आई. टी. अलवर ने प्लॉट न. 3, वैशाली नगर, अलवर में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है एवं सचिव, यू. आई. टी. अलवर के पत्रांक 20591/17 दिनांक 9-1-2017 से भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण को संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2, शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार को भेजा है. वर्तमान में उक्त प्रकरण संयुक्त शासन सचिव, ग्रुप-2,शहरी निकाय विभाग राजस्थान सरकार के स्तर पर विचाराधीन है. **(कार्यवाही: शहरी निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार)**

आरसेटी, चित्तौड़गढ़ (BOB): उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 (रिट संख्या 1554/2004) के अनुसार उक्त भूमि उपयोग परिवर्तन प्रकरण में न्यूनतम सड़क की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान नहीं की जा सकती है अतः आरसेटी संस्थान को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिये जाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, सवाईमाधोपुर (BOB) : **उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि पूर्व में आवंटित भूमि पर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है. वैकल्पिक भूमि के आवंटन हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध कर दिया गया है. कृपया आरसेटी संस्थान

को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिये जाने हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जिला चुरू (BOB), धौलपुर (PNB), पाली (SBI), जैसलमेर (SBBJ), जालौर (SBBJ), बाड़मेर (SBBJ), जोधपुर (ICICI Bank), श्रीगंगानगर (OBC) के आरसेटी संस्थानों की भूमि आवंटन प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिनांक 27.04.2017 को आयोजित स्टेट लेवल कमिटी ऑन आरसेटी (SLCR) की बैठक में हुए निर्णयानुसार ग्रामीण विकास विभाग/ आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार के संयोजन से भूमि आवंटन प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक विशेष बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. उक्त बैठक में नगरीय विकास विभाग, स्थानीय निकाय विभाग एवं राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया जावेगा. साथ ही ग्रामीण विकास विभाग/आरजीएवीपी, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि उक्त बैठक का शीघ्र आयोजन करें ताकि लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों का निस्तारण हो सकें.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार एवं प्रायोजक बैंक)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 30.06.2018 तक आरसेटी भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि रू 1.00 करोड़ प्रदान नहीं की जावेगी. उन्होने राजस्थान सरकार से आरसेटी के समस्त लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया.

संयुक्त सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि आरसेटी के भूमि आवंटन के लंबित प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग (LSG), राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं सवाई-माधोपुर राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से संबन्धित है. जिला कलेक्टर, सवाई-माधोपुर को उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे द्वारा निर्देश प्रदान कर दिये गए हैं. अन्य प्रकरण जो कि राजस्व विभाग से संबन्धित है उनको शीघ्र निस्तारण करने के लिए आश्वासन प्रदान किया गया. साथ ही उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धकों को संबन्धित जिला कलेक्टर से समन्वय कर उक्त प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही करवाते हुए राज्य स्तर पर राजस्थान सरकार के संबन्धित विभाग को प्रेषित करें ताकि उक्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके.

(कार्यवाही: शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक की आरसेटी बाड़मेर के भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगभग राशि रू 7 लाख के शुल्क की मांग की गई है एवं आरसेटी जैसलमेर के लिए भूमि की लागत लगभग राशि रू 86 लाख की जिला प्रशासन द्वारा मांग की गई है. संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा आरसेटी जैसलमर के लिए निशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आरसेटी के भवन निर्माण हेतु भूमि निशुल्क अथवा नाममात्र लागत पर राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा आरसेटी को आवंटित की जावेगी.

संयुक्त सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राशि रू 7 लाख के शुल्क की मांग आरसेटी बाड़मेर के भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु नहीं की गई होगी. अपितु उक्त भूमि की नाममात्र लागत ही वसूल की जा रही होगी. आरसेटी जैसलमेर के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को प्रस्ताव पर स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जावेगी. साथ ही उन्होंने बताया कि निशुल्क भूमि आवंटन का अधिकार मंत्री मण्डल के क्षेत्राधिकार में आता है.

<u>वसूली (PDR Act)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है. उन्होने बताया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें. राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध है.

उप शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त मुद्दे को पूर्व में भी सरकार के समक्ष रखा गया था लेकिन सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. उन्होनें ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से सहयोग की अपील करते हुए उक्त प्रकरण को सरकार के समक्ष दोबारा प्रभावी रूप से रखने हेतु आश्वासन दिया.

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि पीएनबी ने बताया कि श्री गंगानगर जिले में कृषि ऋण मेँ एनपीए के विरूद्ध रोड़ा एक्ट में कार्यवाही के उपरांत बंधक भूमि की नीलामी में भूमि की डीएलसी दर पर भी बोली सफल नहीं होने की स्थिति में भूमि की डीएलसी दर से कम दर पर भूमि को नीलाम करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि श्री गंगानगर जिले के कुछ हिस्से में पानी की कमी की वजह से कृषि कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से भूमि की विक्रय दर में भी लगातार गिरावट आ रही है. उक्त प्रकरण में उप शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया.

उप शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार ने बताया कि भूमि की डीएलसी दर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है एवं भूमि की डीएलसी दर कम करने के प्रकरण को निस्तारण करने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक, श्री गंगानगर को जिला प्रशासन से संपर्क करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए.

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक, श्री गंगानगर)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया जून तिमाही में राज्य में दो जिले यथा डूंगरपुर एवं सिरोही जिले का CD Ratio 40% से नीचे आ जाने के कारण जिले के साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन में DCC की विशेष उप समिति का गठन कर लिया गया है. डूंगरपुर जिले की समिति की प्रथम बैठक 17.04.2017 को आयोजित की गई. जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही का जून (मार्च 2017) का साख जमा अनुपात क्रमशः 33.51 (34.19%), 41.11(40.45%) एवं 37.21(40.98%) रहा है. इस प्रकार जिला राजसमंद में जून 2017 का जमा साख अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर रहा है. साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही की निगरानी DCC की विशेष उप समिति द्वारा नियमित रूप से की जाने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही को एसएलबीसी स्तर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राज्य में दो जिले यथा डूंगरपुर एवं सिरोही जिले का CD Ratio 40% से नीचे है. साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही की निगरानी DCC की विशेष उप समिति द्वारा नियमित रूप से की जाने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक डूंगरपुर एवं सिरोही को पुनः निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा साख जमा अनुपात बढाने की कार्यवाही में डूंगरपुर जिले का अध्ययन किया गया है जिसमें उन्होंने पाया कि डूंगरपुर जिले की एसबीआई, बीओबी, सीबीआई आदि शाखाओं में साख जमा अनुपात 30% से नीचे है एवं आईडीबीआई का साख जमा अनुपात 232% है। इसको मद्देनजर रखते हुए डूंगरपुर जिले में साख बढ़ाने की संभावना को तलाशें.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि को-ओपरेटीव बैंक की जमाओं में वृद्धि 0.50% है एवं बैंक का साख जमा अनुपात 180% है जो कि बैंक के लिए चिंताजनक स्थिति है. बैंक के साख जमा अनुपात पर नियमित निगरानी रखने की जरूरत बतलाई. साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य के कुछ जिलों में पैक्स (PACS) अपने आप को मिनी बैंक के रूप में पेश कर रहे है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत निषिद्ध है. नियंत्रक, को-ओपरेटीव बैंक को निर्देश प्रदान किए कि पैक्स (PACS) को पाबंध करें कि वो अपने आप को मिनी बैंक के रूप में पेश नहीं करें.

(कार्यवाही: सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, नाबार्ड एवं को-ओपरेटीव बैंक, राजस्थान)

<u>वित्तीय समावेशन प्लान</u> (FIP 2016-19)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान “अप्रैल 2016 से मार्च 2019” केवल 12 बैंकों द्वारा ही

प्रस्तुत किया गया है, उन्होने शेष बैंकों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को आगामी 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया. **(कार्यवाही: शेष नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवो में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ कस्बे में खोली गयी डिजिटल शाखा मॉडल के अनुरूप राज्य में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रथम शाखा राजियासर मीठा जिला चूरू में एकल अधिकारी की सेवा आधारित शाखा इस वित्तीय वर्ष में खोली जाना प्रस्तावित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने पत्रांक रा.अं./एसएलबीसी /2017-18/663 दिनांक 06.07.2017 से सभी बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल शाखा का मॉडल साझा किया गया है एवं बैंक द्वारा डिजिटल शाखा मॉडल पर एक शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा के जयपुर अंचल कार्यालय परिसर में भी खोली गयी है जिसकी विजिट बैंकों एवं अन्य विभागों द्वारा दिनांक 09/08/2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति की बैठक के उपरांत की गयी.

इस संबंध में शेष बैंकों से डिजिटल शाखा खोलने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा आगामी 15 दिवस में कार्ययोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों का रोडमैप (FIP - Road Map)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) 171 गांवों में 30 जून 2017 तक शाखाएँ खोलने की कार्यवाही के सापेक्ष बैकों द्वारा राज्य में केवल 37 गावों में शाखाएं खोली गई हैं, 36 गांवों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव बैंकों के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं एवं शेष 98 गांवों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव बैंकों ने आर्थिक / व्यावसायिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए एवं अन्य कारणो से असमर्थता व्यक्त की हैं.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में शाखाएं खोलने के अंतर्गत बैंकों द्वारा आर्थिक / व्यावसायिक लाभप्रदता नहीं पाये की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के 18 मई 2017 के परिपत्र के अनुसार "बैंकिंग आउटलेट" खोलने की कार्यवाही प्रारम्भ करें एवं उक्त कार्य तय समय सीमा यथा 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करने के बैंकों को निर्देश प्रदान किए. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिये कि बैंक रहित 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में नयी शाखा खोलने की कार्यवाही इलाहाबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक एवं आंध्रा बैंक द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विजिया बैंक एवं

ओबीसी द्वारा शाखाएं खोलने के कार्य में गति प्रदान कर दी गई है लेकिन आरएमजीबी, एसबीआई, बीआरकेजीबी एचडीएफ़सी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा शाखाएं खोलने के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की पूर्णत: अनुपालना नहीं की जा रही है जिस पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ द्वारा उक्त गांवों में विजिट की गई एवं पाया कि केवल दो गांवों में ही बीसी की सेवा संतोषजनक पायी गई एवं अन्य गांवों में बीसी के सेवा संतोषजनक नहीं थी. उन्होने बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि बीसी द्वारा सेवाएं प्रदान करने की स्थिति की बैंक नियंत्रक नियमित रूप से समीक्षा करें एवं जहां जरूरत हो वहां सुधार करें एवं इससे संबन्धित अन्य मुद्दे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति की बैठक में विस्तृत चर्चा की जावेगी.

साथ ही उन्होंने समस्त संबन्धित बैंकों को बैंकिंग आउटलेट अथवा शाखा खोलने की कार्यवाही तय समय सीमा यथा 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए एवं इसकी रिपोर्टिंग एसएलबीसी को मासिक आधार पर एवं एसएलबीसी उक्त रिपोर्ट को संकलित कर भारतीय रिजर्व बैंक को नियत समयावधि में प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 132 वीं बैठक में अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि आरआईएसएल (RISL) को चार बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी, पीएनबी एवं एसबीआई द्वारा कॉर्पोरेट बीसी बनाया गया है एवं अन्य बैंकों से भी आरआईएसएल (RISL) को कॉर्पोरेट बीसी बनाने का अनुरोध किया.

अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रोध्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि आरआईएसएल (RISL) को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा भी कॉर्पोरेट बीसी बनाया गया है.

<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 133वीं बैठक में आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया था कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य में कार्यरत बैंक शाखाओं में से 3 शाखा प्रबन्धकों का चयन कर एसएलबीसी बैठकों में सम्मानित किया जाना चाहिए. इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी के अधिकारियों के संयोजन से एक कमेटी गठित कर सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सभी बैंक शाखाओं में से 3 शाखा प्रबन्धकों का चयन करने की कमिटी का गठन एवं चयन प्रक्रिया हेतु योजना की रूपरेखा प्रक्रियाधीन है.

उपनिदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त प्रक्रिया में गति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 133वीं बैठक में आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, सीएसआर राजस्थान सरकार ने बताया कि सभी बैंक Companies Act, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का कार्य करते है. इस पर उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधि के तहत राजस्थान के लिए बजट का आवंटन करवाये एवं इसकी सूचना उनके विभाग को उपलब्ध करावें. इस संबंध में उन्होने सुझाव देते हुए कहा कि उनका विभाग एक योजना बना कर बैंको की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है. उक्त बैठक में अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री अशोक कुमार गर्ग ने उक्त कार्ययोजना पर एसएलबीसी की उपसमिति में चर्चा करने के लिए दिये गये निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 09/08/2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति की बैठक आयोजित की गयी. उपसमिति की बैठक में हुए निर्णय निम्नानुसार हैं :

- सभी बैंकों से आग्रह किया कि अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गतिविधि के तहत राजस्थान के लिए बजट का आवंटन करवाये एवं इसकी सूचना उनके विभाग को उपलब्ध करावें.
- एसएलबीसी स्तर पर एक फॉरम स्थापित किया जाएं ताकि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए बजट संधारण करने की कार्यवाही की जा सके.
- उन्होने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत राज्य के गरीब मेघावी छात्र/छात्राओं को चयनित कर स्कॉलरशिप देकर लाभान्वित किया जा सकता है.
- मुख्य कार्यकारी प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार को निर्देश दिये कि सुमेधा एनजीओ के द्वारा राज्य में मेघावी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देकर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया को समझे एवं सभी हितग्राहियों से साझा करें.

मुख्य कार्यकारी प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार से प्रक्रिया का प्रारूप प्रतीक्षित है.

राज्य परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने उक्त प्रक्रिया का प्रारूप आगामी सात दिवस में एसएलबीसी कार्यालय को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही: राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार, एसएलबीसी एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>कनेक्टिविटी की समस्या (Connectivity Issue)</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चो को वहन करने की चर्चा दिनांक 01.05.2017 को एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक में की गयी जिसमें नाबार्ड एवं बैंकों के द्वारा उक्त खर्चों को वहन करने में असहमति जताई. कनेक्टिविटी की समस्या का निस्तारण करने एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चो को वहन करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया.

अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकार ने भी असमर्थता जाहिर की थी लेकिन Unbanked Area में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चो को वहन करने का प्रस्ताव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को पुनः भिजवाने का आश्वासन दिया गया.

निदेशक-बजट, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने में आने वाले आवर्ती खर्चो को वहन करने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही: सूचना प्रोध्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 01.05.2017 को आयोजित बैठक में महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि राज्य में 820 स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण हेतु VSAT लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं एवं जिसमें से 202 स्थानों पर VSAT लगाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इस संबंध में इन स्थानों पर एसएलबीसी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर नाबार्ड से अनुदान के क्लेम करने की कार्यवाही 30 सितम्बर 2017 से पूर्व कर पुनर्भरण प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया. साथ ही उन्होने नाबार्ड द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के बारे में दोहराते हुए बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त स्थानों पर नाबार्ड से FIF के अंतर्गत सोलर वीसैट लगाने के लिए फ़ंड स्वीकृति से पूर्व अग्रणी जिला प्रबन्धक से सब सर्विस एरिया (SSA) के आवंटन का अनुमोदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत इस आशय का एसएलबीसी से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही नाबार्ड द्वारा FIF के अंतर्गत स्वीकृति जारी की जावेगी लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 6 स्थानों के परिवर्तन में उक्त प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई है एवं सीधे ही नाबार्ड के प्रधान कार्यालय से इन 6 स्थानों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है.

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड से अनुदान के क्लेम करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2017 से आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध किया.

मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया. **(कार्यवाही: नाबार्ड एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>आधार सीडिंग (Aadhar Seeding)</u>

उपमहाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आयुक्त, ई.जी.एस विभाग द्वारा सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु दिनांक 30.06.2017 तक 3.95 लाख सहमति पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्राप्त हुए हैं. प्राप्त सहमति पत्र में से 3.79 लाख खातों में आधार सीड किए जा चुके हैं. एसएलबीसी की उपसमिति की दिनांक 09.08.2017 को आयोजित बैठक में उन्होने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त निर्देशानुसार सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग हेतु जिला प्रशासन द्वारा आयोजित

दिनांक 10.07.2017 से 30.09.2017 तक आधार सीडिंग केम्प में बैंक शाखाओं की सहभागिता हेतु एसएलबीसी द्वारा पत्रांक ज.अ./एस.एल.बी.सी./2017-18/718 दिनांक 21.07.2017 से सभी बैंकों से अनुरोध किया हैं तथा कैंपो का शैड्यूल एसएलबीसी स्तर से सभी बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित किया जा चुका हैं. इन कैंपो का शैड्यूल नरेगा की वैबसाइट पर भी उपलब्ध होने से बैंकों को सूचित किया गया एवं सभी बैंको से अनुरोध किया गया कि वह अपनी सभी शाखाओं को इन कैंपों में सहभागिता हेतु निर्देशित करें. साथ ही आधार कार्ड सीडिंग हेतु भेजे गये सहमति पत्रों की बैंक शाखावार सूचना भी उपलब्ध करवाने हेतु संबन्धित विभाग से अनुरोध किया एवं ई.जी.एस. विभाग राजस्थान सरकार से उक्त कैंपों की हुई प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध है.

अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान इको सिस्टम बना रही है इसके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ बतायी गई :

1. बैंक खाते में एटीएम कार्ड जारी किया हुआ हो एवं एटीएम कार्ड से लेन-देन हो रहे हो.
2. आधार कार्ड बैंक खातें में सीडेड हो एवं खाताधारक को AEPS लेन-देन के बारे में जानकारी हो

उन्होने बताया कि लगभग 1.50 करोड़ बैंक खाताधारकों के नाम एवं खाता संख्या सहित सूचना उनके विभाग द्वारा सभी संबन्धित बैंकों से साझा कर दी जावेगी. इसके लिए उक्त बैंक खातों की सूचना यथा खाताधारक को एटीएम जारी किया हुआ है अथवा नहीं, एटीएम कार्ड से लेन-देन किए हुए है अथवा नहीं, आधार कार्ड सिडेड है अथवा नही तथा AEPS के द्वारा लेन-देन किया गया है अथवा नहीं इत्यादि की जानकारी राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा में 6164 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 5513 कामगारों प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 90% रही है. उन्होने बताया कि प्रारम्भ में वर्ष 2017-18 के लिए 6000 इच्छुक कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान करने से सूचित किया गया. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ40(96) ग्रावि/नरेगा/ लाईफ प्रोजेक्ट/2015 /eo -73550 दिनांक 18.08.2017 के माध्यम से आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के 29833 कामगारों के लक्ष्य से सूचित किया है. दिनांक 31.08.2017 तक 29833 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 5841 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 19.57% रही है एवं राज्य सरकार से अनुरोध किया कि प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का identitification एवं sponsoring जिला प्रशासन द्वारा करवाकर सभी आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाया जायें.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं स्टेट आरसेटी निदेशक, राजस्थान)

स्टेट आरसेटी निदेशक, राजस्थान ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरसेटी में प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के क्रेडिट लिंकेज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है. राजस्थान

में उक्त प्रतिशत 46% है लेकिन राज्य की कुछ आरसेटी का क्रेडिट लिंकेज का प्रतिशत 40% से भी कम है. इस संबंध में उन्होने आरसेटी, नियंत्रक बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त आरसेटी पर गहन निगरानी की आवश्यकता है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राज्य में कुछ आरसेटी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का क्रेडिट लिंकेंज 100% है। इसको देखते हुए आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अनुसंधान की आवश्यकता है. उन्होने बताया कि अन्य राज्यों की तरह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एमएसएमई की उपसमिति बनाई हुई है उसी तर्ज पर राजस्थान में भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एमएसएमई की उपसमिति बनाने की आवश्यकता है.

(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं आरसेटी नियंत्रक बैंक, राजस्थान)

स्टेट आरसेटी निदेशक, राजस्थान ने बताया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के मुद्रा एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों को बैंक शाखाओं द्वारा बिना कारण अस्वीकृत कर लौटा दिया जाता है एवं शाखाओं द्वारा लाभार्थी को बताया जाता है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उनको आवेदन प्राप्त नहीं हुए है. इस संबंध में बैंक नियंत्रकों से शाखाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक एवं आरसेटी नियंत्रक बैंक, राजस्थान)**

महाप्रबंधक, सिडबी ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत शाखाओं में आवेदन पत्र भेजने की प्रक्रिया एवं उस पर कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 सितम्बर, 2017 को स्टैंड अप इंडिया योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत 30 सितम्बर 2017 तक की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता (Commitement) ली गई है. उन्होने सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि योजनान्तर्गत प्रतिबद्धता (Commitement) के आधार पर उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होने सूचित किया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए उनका विभाग सहयोग के लिए तत्पर है. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कुछ बैंकों की प्रगति बहुत अच्छी है एवं कुछ बैंकों की प्रगति बहुत खराब है. बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि शाखाओं द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया हो लेकिन पोर्टल पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही हो इस संबंध में बैंक नियंत्रकों से जांच करने हेतु अनुरोध किया. साथ ही उन्होने मुद्रा एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चुरू जिले में रबी 2013-14 के बीमा क्लेम के प्रकरण के निस्तारण हेतु निदेशक, कृषि, द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार क्लेम के अंतर की राशि रू 1.29 करोड़ का 50:50 प्रतिशत भुगतान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड व पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा भुगतान किया जाना तय हुआ है जिसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा अंतर की राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं पंजाब नेशनल बैंक से अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (Erstwhile SBBJ) शाखा चुरू ने संशोधित घोषणा पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित कर दिये है तथा संबन्धित बीमा कंपनी से कार्यवाही प्रतीक्षित है से सूचित किया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (Erstwhile SBBJ) एवं बीआरकेजीबी के चुरू जिले के संशोधित क्लेम एवं पूर्व के वर्षों में कवर किये गये फसल बीमा में कृषकों का आधिक्य प्रीमियम (Excess Premium) का भुगतान बीमा कंपनियों से वापस दिलवाने एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को दिये गये निर्देश की अनुपालना करवाने हेतु कृषि विभाग के स्तर से कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि अंतर की राशि का भुगतान किया जा चुका है

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने रबी 2016-17 मौसम में बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही करने के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

उपशासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने पीएमएफ़बीवाई रबी 2016-17 मौसम के साथ साथ खरीफ 2017 में बीमित किसानों की सूचना भारत सरकार के पोर्टल पर शीघ्र अपलोड करने का आश्वासन दिया

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर रबी 2016-17 के तहत अद्यतित किए गए फसल बीमा की बैंकवार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया था लेकिन उक्त सूचना की अनुपलब्धता की वजह से कृषि विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार फोलियो प्रिंट करवाकर संबन्धित किसानों को उपलब्ध नहीं करवाए जा सके हैं. चूंकि टेंडर प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया है एवं पूर्व में (खरीफ 2016) फोलियो प्रिंटिंग हेतु प्रिन्टर का चयन कमेटी द्वारा किया है अतः इसके मद्देनजर रबी 2016-17 के फोलियो प्रिंट करवाने के लिए कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रिन्टर को ही खरीफ 2017 के लिए नामित करने हेतु सदन से अनुरोध किया.

निदेशक, बजट, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि टेंडर आमंत्रित करते समय निविदा की शर्ते अनुमति प्रदान करती हैं तो फोलियो प्रिंट करवाने के लिए कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रिन्टर को ही खरीफ 2017 के लिए नामित किया जा सकता है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से निम्नलिखित पत्रों से अनुरोध किया गया है :

1. रा.अं:एस.एल.बी.सी:2015-16/99 दिनांक 12.05.2015
2. रा.अं:एस.एल.बी.सी:2015-16/1008 दिनांक 11.02.2016
3. रा.अं:एस.एल.बी.सी:2015-16/1072 दिनांक 01.03.2016
4. रा.अं:एस.एल.बी.सी:2015-16/1081 दिनांक 04.03.2016
5. रा.अं:एस.एल.बी.सी:2017-18/291 दिनांक 19.05.2017
6. रा.अं.:एस.एल.बी.सी.:2017-18:345 दिनांक 01.06.2017
7. रा.अं./एस.एल.बी.सी./2017-18/560 दिनांक 06.07.2017
8. रा.अं/एस.एल.बी.सी./2017-18/560 दिनांक 29.07.2017

साथ ही उन्होने उक्त लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से पुनः अनुरोध किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना व संशोधित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित कृषकों की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के पास कोई सिस्टम विकसित नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाने में परेशानी आ रही है. अतः उन्होने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि इस संबंध में छूट प्रदान करने का श्रम करें.

उपशासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से मांगी जा रही है एवं अंकेक्षण के लिए भी आवश्यक है.

निदेशक, बजट, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंकों से अनुरोध किया कि कम से कम एक वर्ष की उक्त सूचना उपलब्ध करवाएँ ताकि अंकेक्षण की जरूरत का निस्तारण किया जा सके.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक के विलय के कारण उक्त सूचना मिल पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है अतः उन्होने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि इस संबंध में छूट प्रदान करें.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों में SGSY योजना के अनुदान की लगभग राशि रू 15 करोड़ बैंकों के पास खातों में पिछले 4 वर्षों से अवशेष है जिसमें से केवल राशि रू 2 करोड़ ही विभाग को प्राप्त हुई है. विभाग द्वारा बैंक शाखावार सूचना उपलब्ध करवाने एवं एसएलबीसी से अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी राज्य सरकार को उक्त राशि वापस नहीं लौटाई गई है. उन्होने

समस्त बैंक नियंत्रकों से उनकी शाखाओं में सरकार के खातों को चिन्हित करने एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अवशेष राशि राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने का पुनः अनुरोध किया. साथ ही ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से SGSY योजना के अनुदान की अवशेष राशि की बैंकवार/शाखावार अद्यतन सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया.

स्टेट परियोजना प्रबन्धक, राजीविका ने SGSY योजना के अनुदान की अवशेष राशि की बैंकवार/शाखावार अद्यतन सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

उपमहाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2016-17 में मार्जिन मनी क्लेम के लिए लंबित आवेदन पत्रों की ऑनलाइन पोर्टल पर उक्त आवेदन पत्रों की कमियों को शीघ्र पूर्ण करें. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)**

उपमहाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि डीटीएफ़सी में आवेदन पत्र केवल उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमोदन किया जा रहा है. आवेदक से व्यक्तिश: साक्षात्कार नहीं किया जा रहा हैं अतः आवेदक के व्यक्तिश: उपस्थित होकर साक्षात्कार लिए जाने की व्यवस्था को दुबारा लागू करने के लिए केवीआईसी, केवीआईबी एवं उद्योग विभाग, राज्य सरकार से आग्रह किया.

उपनिदेशक, उद्योग विभाग, राज्य सरकार ने बताया कि पीएमईजीपी योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित होती है. इस संबंध में आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार द्वारा एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है.

निदेशक, केवीआईसी ने बताया कि डीटीएफ़सी में आवेदक को सामान्य चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है. डीटीएफ़सी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं अतः इस संबंध में राज्य के सभी जिला कलेक्टर को उनके कार्यालय द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। इसकी प्रति एसएलबीसी को भी शीघ्र प्रेषित कर दी जावेगी. साथ ही उन्होने वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों के मार्जिन मनी क्लेम करने के संबंध में कार्यवाही करने एवं वर्ष 2017-18 में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)**

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 133वीं बैठक में शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में रिजेक्शन का प्रतिशत बहुत अधिक रहता है. साथ ही उन्होने सरकार द्वारा सरकार प्रायोजित सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने हेतु संबन्धित विभागों को अनुरोध किया. इसके साथ ही सुझाव भी दिया कि प्रत्येक online application में Latitude एवं Longitude के साथ आधार नं. भी अद्यतन करवाया

जाना चाहिए. इस क्रम में दिनांक 28.06.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंक्लूजन कमेटी (SLFIC) की बैठक में लिये निर्णयानुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के निगरानी हेतु पोर्टल का निर्माण प्रक्रियाधीन होने से सूचित किया है. एवं इसका पाइलट प्रयोग सफल होने के पश्चात जल्द ही इसे लॉच कर दिया जायेगा।

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रधानमंत्री टास्क फोर्स कमिटी के द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों को बकाया ऋणों की वार्षिक वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों के स्तर से प्रत्येक शाखा की नियमित रूप से समीक्षा की जाने हेतु अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजनान्तर्गत प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अपेक्षानुरूप प्रगति हेतु मासिक रूप से बैंकवार/शाखावर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया. उन्होंने परियोजना निदेशक, NULM से अनुरोध किया कि जिला स्तर पर इस योजना की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस योजना में वांछित प्रगति परिलक्षित हों.

परियोजना निदेशक, NULM ने सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि (NULM) योजनान्तर्गत लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करें. साथ ही उन्होने बताया कि मुद्रा योजना के तहत किए गए लाभान्वितों को एनयूएलएम योजना की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को एनयूएलएम योजना का लाभ दिया जा सकता है. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)**

<u>एनआरएलएम (NRLM)</u>

राज्य परियोजना प्रबन्धक, राजीविका ने बताया कि गत माह में राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित एनआरएलएम योजना के क्रेडिट केम्प सफल रहे हैं. इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान को उक्त केंपों को सफल बनाने के लिए उनकी सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. उन्होने बताया कि राज्य में कुछ बैंक जो अभी भी सहयोग नहीं कर रहे है उन बैंको से एनआरएलएम योजना के तहत लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया एवं उन्होने एनआरएलएम योजना के अतिदेय खातों की सूची उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों से अनुरोध किया ताकि उक्त खातों में वसूली की कार्यवाही राजीविका विभाग द्वारा की जा सके.

साथ ही उन्होंने बताया कि दिनांक 01.07.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएचजी के बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट लिंकेज के संबंध में मास्टर सर्कुलर से दिशा-निर्देश जारी किये है उक्त परिपत्र के आधार पर बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों से भी परिपत्र जारी किया जावे ताकि संबन्धित बैंक शाखाओं को स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो सके तथा इसकी प्रति एसएलबीसी एवं राजीविका विभाग को भी प्रेषित करें.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में 300 जिलों में दिनांक 26 मई 2017 से 11 जून 2017 तक वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. राज्य में चौदह जिलों में उक्त कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किये गए है. इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सर्वसम्मति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने की अनुमति प्रदान की गयी.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीएलएसएस में राजस्थान में जून 2017 तक 1019 इकाइयों को राशि रू 9.09 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं हुड़को (HUDCO) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीएलएसएस में राजस्थान में जून 2017 तक 274 इकाइयों को राशि रू 2.2 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है. साथ ही उन्होने एनएचबी एवं हुड़को से अनुरोध किया कि उनके द्वारा Approved Projects की सूची एसएलबीसी के साथ साझा (Share) करें ताकि एसएलबीसी यह सूची सभी बैंकों को उपलब्ध करवा सकें

प्रतिनिधि, हुड़को ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीएलएसएस के बैंकों द्वारा प्रेषित आकड़ों एवं उनके विभाग द्वारा दिए गए अनुदान के आकड़ों में विचलन है. अतः विचलन को ज्ञात करने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना की सीएलएसएस के अंतर्गत सामान्य आवास ऋण योजना के तहत दिए गए आवास ऋण को भी कवर किया जाता है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट Approved करने का कार्य हुड़को एवं एनएचबी द्वारा नहीं किया जाता है, उक्त प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की एजेंसी रूडसिकों द्वारा अनुमोदित किये जाते है एवं उनके द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा ईडबल्यूएस श्रेणी के लाभान्वितों को राशि रू 1.50 लाख का अनुदान भी प्रदान की किया जाता है एवं किसी भी स्थिति में उक्त श्रेणी के लाभान्वितों को दोहरा अनुदान नहीं दिया जा सकता है इस संबंध में बैंक शाखाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता है. साथ ही उन्होने बताया कि बैंक शाखाओं के स्टाफ को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी का अभाव है तथा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी के लिए कार्यशाला व दुबारा परिपत्र से अवगत करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)**

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि महापंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया हैं कि बैंक द्वारा कृषि भूमि के रहननामा के ऑनलाइन पंजीयन के लिए राज्य के 10 जिलों में बैंककर्मियों को एवं रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक कार्मिकों के यूजर id एवं पासवर्ड बनवाकर सम्बंधित बैंकों को उपलब्ध करवा दिए गए है. जिन बैंक शाखाओं के यूजर id एवं पासवर्ड सृजित हो चुके है उन बैंक शाखाओं से अनुरोध है कि ऑनलाइन कृषि भूमि रहननामा को उप पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें एवं शेष रहे 23 जिलों में स्थित बैंक शाखाएं अपने यूजर id सृजन करवाने हेतु संबन्धित पंजीयक कार्यालय को आवेदन करें. **(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)**

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा स्टांप ड्यूटी से संबन्धित अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक की सूचना महापंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवा दी गयी है. इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सर्वसम्मति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने की अनुमति प्रदान की गयी.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आईबीए से अनुमोदित स्किल लोन स्कीम को Chief Minister Skill Loan Scheme के नाम से योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही है. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग से योजना में ब्याज अनुदान के क्लेम के प्रपत्र एवं पद्दति प्रक्रिया उपलब्ध करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि हमारे कार्यालय के पत्रांक ज.अं./एस.एस.बी.सी. /2017-18/418 दिनांक: 15.06.2017 के द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को उनके अधीन शाखा प्रबन्धकों/जिला समन्वयकों द्वारा जिलें में आयोजित डीसीसी/ डीएलआरसी/बीएलबीसी आदि बैठकों में सम्पूर्ण सूचनाओं एवं तैयारियों के साथ सहभागिता के लिए निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक में सहयोगी बैंकों के विलय के पश्चात सभी जिलों में जिला समन्वयकों द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धकों को सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है एवं उनके द्वारा जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भी सहभागिता नहीं की जा रही है. उन्होने नियंत्रक, भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिये कि जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम उनके कार्यालय एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से साझा कर दे ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. **(कार्यवाही : नियंत्रक, भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)**

साथ ही उन्होने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय से शिकायते प्राप्त हो रही है कि जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में निजी क्षेत्र के बैंकों के कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा बिना तैयारी के साथ सहभागिता की जाती है जो कि कतिपय सही नहीं हैं. जिसके लिए डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अतः जिला समन्वयकों/ ब्लॉक समन्वयकों के नाम उनके कार्यालय एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से साझा कर दे ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

(कार्यवाही : नियंत्रक, निजी क्षेत्र के बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों के द्वारा डीएलआरसी बैठक एवं डीसीसी बैठक दोनों ही एक साथ आयोजित कर दी जाती है जो कि सही नहीं है. भविष्य में उक्त बैठके अलग-अलग तिथि पर आयोजित किये जाने एवं कलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि पर ही बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए. साथ ही उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिए कि जिला समन्वयकों को निर्देश प्रदान करें कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों को नियत समयावधि में तथा सही आकड़ों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं इस संबंध में जिला समन्वयकों की जवाबदेही भी तय करें.

(कार्यवाही : नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान एवं समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान)

सयुक्त शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके कार्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टर को कलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि पर ही बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान कर दिए गए है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी के कार्यालय के पत्रांक ज.अं./एस.एस.बी.सी./2017-18/418 दिनांक: 15.06.2017 के द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को उनके बैंकों द्वारा संचालित एफ़एलसीसी में समुचित आधारिक संरचना (Infrastructure) उपलब्ध करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है एवं सभी बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि वह शीघ्र FLCC को समुचित आधारिक संरचना (Infrastructure) उपलब्ध करवाये.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी कार्यालय के पत्रांक ज.अं./एस.एस.बी.सी./2017-18/418 दिनांक: 15.06.2017 के द्वारा सभी डीसीसी संयोजक बैंकों के नियंत्रकों को अग्रणी जिला कार्यालय को समुचित आधारिक संरचना (Infrastructure) यथा वाहन, लेपटोप, फर्नीचर इत्यादि तथा सक्षम एवं समुचित स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है. सभी डीसीसी संयोजक बैंकों से पुनः अनुरोध किया कि वह शीघ्र अग्रणी जिला प्रबन्धकों को समुचित आधारिक संरचना (Infrastructure) उपलब्ध करवाये.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में 10 Measurable Indicators की समय समय पर प्रगति की समीक्षा हेतु विभिन्न विभागों से डेटा वांछनीय होगें. इस संबंध में नाबार्ड को विस्तृत चर्चा हेतु आमंत्रित किया.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में 10 Measurable Indicators एसएलबीसी कार्यालय को प्रस्तुत कर दिए गए है एवं 10 Measurable Indicators के आकडे के लिए प्रारूप तैयार किया जाना है जिसके लिये एक कमेटी के गठन की आवश्यकता है जिसमें नाबार्ड, आरबीआई, एसएलबीसी, कृषि एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से मंत्रणा करने हेतु बैठक आयोजित करने हेतु सदन से अनुरोध किया.

उपशासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार ने कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृषि ऋण प्रदान करने की अवश्यकता बतलाई

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 134वीं बैठक में अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया था कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के भुगतान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका परीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में किया जा रहा है एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिये जा रहे है कि उक्त चारो बैंकों में ही ग्राम पंचायतों के खाते खोले तथा उन्ही खातों में ग्राम पंचायतों की निधि स्थानांतरित

की जावेगी एवं अन्य बैंकों में खोले गए खातों को बंद करें. इस प्रकरण में ग्रामीण बैंकों को भी उक्त व्यवस्था में शामिल करने का राजस्थान सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक विसविवि.जय.सं.15 /02.02.128/2017-18 दिनांक 13 जुलाई, 2017 के द्वारा सूचित किया है कि " राज्य सरकार अथवा उनके विभागों द्वारा किस बैंक के माध्यम से उनके भुगतान किए जाए, यह उनका स्वयं का एक नीतिगत निर्णय है एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है". इस एटीआर की अनुपालना होने के चलते सर्वसम्मति से इस बिन्दु को कार्यसूची से हटाने की अनुमति प्रदान की गयी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि **शाखा विस्तार:** 30 जून 2017 तक राज्य में कुल 7,548 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जून तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 30 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.99% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,26,731 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.17% के साथ कुल ऋण रूपये 2,38,904 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 16.71%, 18.56% एवं 0.50% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं को-ऑपरेटिव बैंकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 9.32%, 11.53% एवं 5.10% रही.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 16.87% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,73,421 करोड़ रू रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.68% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 89,921 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 25.74% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 83,500 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.89 % के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 55,187 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून 2017 को राज्य में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि 6.02% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 12,180 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 72.59%, **कृषि क्षेत्र** को 37.64%, कमजोर वर्ग को 23.10%, **लघु एवं सूक्ष्म कृषकों** को 15.54% तथा **सूक्ष्म उपक्रमों** को 11.48% रहा है. उपरोक्त सभी मानदण्डों में बकाया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क से ऊपर रहे हैं.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूक्ष्म उपक्रम ऋणों के स्तर को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स समिति द्वारा संस्तुतित स्तर के अनुसार रखने हेतु बैंकों को अनुरोध करते हुए कहा कि सूक्ष्म उद्यमियों को अधिक वित्त पोषण प्रदान करें. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 30 जून 2017 को राज्य में साख जमा अनुपात 75.37% रहा है. 31 मार्च 2017 को डुंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 34.19%, 40.45% एवं 40.98% रहा है जिसमें से डूंगरपुर का CD Ratio निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम था लेकिन 30 जून 2017 को डूगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 33.51% 41.11% एवं 37.21% रहा है. जिसमें से डूंगरपुर एवं सिरोही का CD Ratio निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम था.

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रथम तिमाही तक की उपलब्धि 21.25% रही है. कृषि में 17%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 44.91% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 13.66% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष प्रथम तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 25.64%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 25.16% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 4.92% की उपलब्धि दर्ज की है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को नजदीकी राज्य हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 30 जून 2017 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति को संतोषप्रद पाया गया.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Preparation of Financial Inclusion Plan (FIP) - 2016-19</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान "अप्रैल 2016 से मार्च 2019" केवल बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई, बीआरकेजीबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरएमजीबी, एचडीएफ़सी बैंक, नैनीताल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कुल 12 बैंक) से ही वित्तीय समावेशन प्लान प्राप्त हुआ है.

उन्होने शेष बैंकों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिये.

(कार्यवाही: शेष बैंकों के नियंत्रक, राजस्थान)

<u>Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से 30 जून 2017 तक केवल 37 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं. बैंकों द्वारा 38 गाँवों में शाखा खोलने की व्यवहार्यता (Feasibility) पायी गयी है. इसके अतिरिक्त 96 गांवों में शाखा खोलना व्यवहार्य नहीं पाया भी रिपोर्ट किया है.

<u>प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 30.06.2017 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 56.74% तथा आधार सीडिंग 75.81% है एवं वित्तीय सेवाएँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार PMJDY के तहत खोले गये खातों में आधार सीडिंग का कार्य 31.12.2017 तक पूर्ण किया जाना है.

इस हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में लंबित क्लेम की सूचना नियमित रूप से एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: बीमा कंपनीयां, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि PMJJBY में नामांकन PMSBY की तुलना में बहुत ही कम है एवं APY में कॉ-आपरेटिव बैंक का नामांकन नगण्य है एवं शाखाओं में स्थापित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी का अभाव है. उन्होने बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए कि शाखाओं में स्थापित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करावें एवं साथ ही निर्देशित करें कि PMSBY, PMJJBY में APY में अधिकाधिक लोगो को नामांकन करने के लिए प्रेरित करें.

संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के इंडेक्स निर्धारित किए जा रहे है जिसके लिए वर्ष 2016 के आकड़े

आधार होंगे एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आकडे सभी बैंकों से शीघ्र ही उनके विभाग द्वारा मांगे जावेंगे.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में आधार नामांकन एवं अद्यतन करने सुविधा बैंक शाखाओं में उपलब्ध करवायी जानी है जिसके प्रमुख दिशा-निर्देश निम्नलिखित है :

1. आधार नामांकन एवं अद्यतन करने की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बैंक की 10 शाखाओं मे से एक शाखा को चिन्हित किया जाना है.
2. आधार नामांकन एवं अद्यतन करने की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु समस्त बैंकों द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय की शाखा को चयनित किया जाना आवश्यक है.
3. शाखाओं को चिन्हित करते समय यह ध्यान में रखे कि अधिकाधिक तालुका को कवर किया जाएं.

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं ग्रामीण बैंक की 6934 बैंक शाखाओं में से 752 शाखाओं को आधार नामांकन एवं अद्यतन करने सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चिन्हित किया गया है.

Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समग्र वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के लिए वित्तीय साक्षरता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र (VTPs) ऑपरेशनल केंद्र एवं (OCs) जैसे कौशल विकास केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है. 30 जून 2017 तक 1036 केन्द्रों में 64230 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से लाभान्वित कर 62623 विद्यार्थियों को साक्षरता सामग्री उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी दी.

NABARD Guidelines regarding Installation of Solar powered V-SAT for connectivity to Kiosk/ Fixed CSP in the SSA- Support under FIF

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान हेतु सौर उर्जा चालित वी-सैट (V-SAT) स्थापित करने के लिए 6 बैंकों को 820 स्थानों के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी/स्वीकृति दी गयी है एवं 30 जून 2017 तक बैंकों के द्वारा 212 स्थानों पर सौर उर्जा चालित वी-सैट (V-SAT) स्थापित करने से सूचित किया है. इस संबंध में बैंकों से अनुरोध किया कि वी-सेट स्थापित कर राशि के पुनर्भरण हेतु सितम्बर 2017 तक दावा नाबार्ड को प्रस्तुत करें तथा इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र एसएलबीसी से पूर्व में प्राप्त कर लें.

(कार्यवाही: संबन्धित नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

To initiate the financial literacy programme for school children, with a special focus on female students of class IX and X in the state

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 5083 विद्यालयों का मानचित्रण (Mapping) कर 3344 विद्यालयों में साक्षरता कार्यक्रम किये गये हैं. इन कार्यक्रमों में 232931 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तथा 217461 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध करवायी गयी है.

Support from Financial Inclusion Fund (FIF) Deployment of PoS Terminals in Tier 5 and Tier 6 Centres

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने का लक्ष्य है इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है तथा बैंकों द्वारा स्थापित की गई PoS मशीन की एवं लागत पुनर्भरण की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया. साथ ही बताया कि लागत का पुनर्भरण दिसम्बर 2017 तक ही संभव है.

(कार्यवाही: क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, राजस्थान)

Installation of ATMs at Gram Panchayat level

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक, संचार एवं प्रोद्योगिकी, राजस्थान सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एटीएम स्थापना करने पर राज्य सरकार द्वारा अपफ्रंट लागत (Upfront Cost) साझा करने के प्रस्ताव के संबंध में केवल आईसीआईसीआई बैंक ने पहल की है तथा अन्य सभी बैंकों से भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया गया कि वित्तीय समावेशन योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के कार्यान्वयन/ मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया है, जिसकी चार बैठकों का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजन किया जा चुका है. जून 2017 तिमाही की बैठक शीघ्र आयोजित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति - आरसेटी

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय समिति, आरसेटी का गठन किया जा चुका है तथा इसकी द्वितीय बैठक दिनांक 27.04.2017 को आयोजित की गयी है

स्टेंड अप इण्डिया की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.03.2017 तक स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना के तहत 1638 व्यक्तियों को राशि रू 312.67 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये हैं एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.07.2017 तक योजनान्तर्गत 226 व्यक्तियों को राशि रू 52.50 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं. उन्होने बताया कि स्टेण्ड अप इंडिया में वांछित प्रगति परिलक्षित नहीं होने के चलते SIDBI द्वारा दिनांक 13.09.2017 को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया एवं बैठक के दौरान बैंकों द्वारा आगामी बचे हुए समय में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा दिया. उक्त बैठक के कार्यवृत SIDBI द्वारा सभी बैंकों को प्रेषित कर दिये गये है. साथ ही उन्होने सूचित किया कि स्टेण्ड अप इंडिया में काफी कम प्रगति है एवं योजनान्तर्गत अधिक प्रयासों की आवश्यकता है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. समिति की प्रथम बैठक का आयोजन भी उपरोक्त नामांकन के उपरांत प्रस्तावित किया जाना है. उन्होने समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम नामित करने हेतु राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : संयुक्त, शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार)

अटल पेंशन योजना (APY)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत जूलाई 2017 तक कुल लक्ष्य 1585080 के सापेक्ष में 256712 उपलब्धि रही है जो लक्ष्य का 16.20% है. वर्ष 2017-18 के लिए अटल पेंशन योजना के लक्ष्य पूर्व की भांति ही आवंटित किए गये है एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने एवं बीसी को भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि बीसी को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है उस पर पूर्ण पारिश्रमिक पर TDS काटा जा रहा है जिसमें LSPs के कमीशन का भी हिस्सा होता है और उस TDS

का समस्त भार बीसी द्वारा पूर्ण वहन किया जाता है. उन्होने बैंकों को निर्देश दिए कि केवल बीसी के हिस्से पर ही TDS काटा जावें.

साथ ही उन्होने बताया कि वक्रांगी एलएसपी द्वारा बीसी को उनकी कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है एवं बीसी द्वारा उक्त उत्पाद नहीं बेचने पर उनको हटा दिया जाता है अतः सभी बैंकों को निर्देश दिए कि इस तरह के प्रकरण की पुनरावृति नहीं हो इसके लिए वक्रांगी एलएसपी को पाबंध किया जावें. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>मुद्रा प्रोत्साहन अभियान (Mudra Promotion Campaign)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 27 सितम्बर 2017 से 17 अक्तूबर 2017 तक पूरे भारतवर्ष में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान चलाया जावेगा. इसके अंतर्गत राजस्थान में जोधपुर एवं जयपुर में क्रमशः 06 अक्टूबर 2017 एवं 13 अक्टूबर 2017 को मुद्रा प्रोत्साहन शिविर आयोजित किये जायेंगे. मुद्रा प्रोत्साहन अभियान के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमे स्टेट मिशन निदेशक, पीएमजेडीवाई, जिला कलेक्टर, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं सिडबी के प्रतिनिधि सदस्य होंगें. उन्होने सभी बैंक एवं बीमा कंपनियों से सक्रिय रूप से सहभागिता करने का अनुरोध किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक द्वारा शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित विज्ञापनों की सूची पट्ट एवं विज्ञापन शुल्क देने बाबत नगर निगम कार्यालय, जयपुर ने बैंकों को नगर निगम सीमा में प्रदर्शित विज्ञापन जो उपविधियों के अनुसार 4 फिट चौड़ाई एवं अधिकतम 50 फिट लंबाई सीमा में है उन विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रचलित दर @237.59 प्रति वर्ग फिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त राशि जमा नहीं होने करने की स्थिति में विज्ञापन हटाने का हर्जा खर्चा भी बैंक से वसूल करने से सूचित किया है. इस संबंध में राज्य में कार्यरत बैंकों से एसएलबीसी कार्यालय को विभिन्न पत्र प्राप्त हुये है जिनमें बैंकों ने अवगत करवाया है कि शाखा के बाहर बैंक का नाम एवं शाखा के नाम का Glow Sign Board इसलिए प्रदर्शित किया जाता है ताकि ग्राहक/जनता को सुविधा रहे.
साथ ही बैंकों द्वारा सूचित किया कि बैंक शाखाओं द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा PMJDY, PMSBY, PMJJBY, DAY-NULM, DAY-NRLM, PMEGP, PMMY, SC/ST POP, BRSY इत्यादि में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे है। इसके पश्चात भी सरकारी बैंकों पर यह अतिरिक्त वित्तीय भार डाला जा सकता है जो कि अनुचित है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित विज्ञापन के कारण बैंकों पर प्रभारित विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करें. **(कार्यवाही : स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार)**

Agenda No. 4

Doubling of Farmer's Income by 2022

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बतलाया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में विभिन्न पैरामीटर के बेंचमार्क निर्धारित कर दिये गए हैं एवं बेंचमार्क पर हुयी प्रगति की समीक्षा के लिए एसएलबीसी की उपसमिति की शीघ्र बैठक आयोजित करने से सूचित किया गया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2017 के पोर्टल पर अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैं :-

- KCC वार सृजित पॉलिसी -24,14,287
- फसलवार सृजित पॉलिसी - 53,44,132
- बीमित क्षेत्र - 55.07 लाख हेक्टेयर
- बीमित फसल बीमा राशि रू - 9354.21 करोड़

Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि NWR के पेटे बैंकों ने वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में 99 इकाईयों को ऋण राशि रू 55.33 करोड़ का वितरण किया है एवं 30 जून 2017 को 331 इकाइयों में ऋण राशि रू 229.11 करोड़ बकाया है.

वसूली (Recovery)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि जून 2017 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.99% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5.46% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 6.43% सकल NPA है. बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में NPA में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध किया गया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही: प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेण्डा क्रमांक - 5

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि जून 2017 तिमाही तक योजना के तहत 75208 SHGs गठित किए गये हैं तथा 62011 SHGs को बैंक लिंकेज व 24645 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है. इसी क्रम में पिछड़े जिलों यथा बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 7365 SHGs गठित किए गये हैं तथा 7336 SHGs को बैंक लिंकेज व 4443 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है ।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)** वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत राज्य में 844 लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है एवं 3136 लंबित आवेदन पत्रों को अविलंब निस्तारित करने हेतु बैकों से आग्रह किया गया. साथ ही उन्होने बताया कि NULM के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से भी लक्ष्य प्राप्त हुए है जो पूर्व में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्यों से भिन्न है. इस संबंध में स्टेट प्रोजेक्ट प्रबन्धक, एनयूएलएम के ई-मेल दिनांक 14.09.2017 द्वारा प्रेषित लक्ष्य ही राज्य के अंतिम लक्ष्य होंगे.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि राज्य में साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से ऊपर है लेकिन वर्ष दर वर्ष गिरावट आ रही है उन्होने साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रदान किए गए :

1. क्षेत्रवार योजना तैयार कर उस क्षेत्र की उक्त योजना के वित्त पोषण के लिए बैंक विशिष्ट योजना तैयार करें ताकि वार्षिक साख योजना के लक्ष्य भी प्राप्त हो सकेंगे एवं साख जमा अनुपात में भी बढ़ोतरी होगी.
2. किसी भी गतिविधि (एक्टिविटी) के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज को भी वित्त पोषण करें.
3. पिछले दो वर्षों में कुछ बैंकों के साथ चार जिलों में क्षेत्रवार योजना तैयार कर वित्त पोषण किया गया था जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम प्राप्त हुए है. जैसे डेयरी योजना के लिए वित्त पोषण एवं बीकानेर जिले में सोलर पंप योजना के लिए वित्त पोषण.
4. इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा कॉ-ओपरेटिव बैंक के साथ मिलकर जिला झालावाड, बीकानेर एवं जोधपुर में वित्त पोषण की क्षेत्रीय योजना तैयार की गई है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएमईजीपी पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर योजनान्तर्गत 520 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया है एवं राज्य की

विभिन्न बैंक शाखाओं में 3178 ऋण आवेदन पत्र लंबित होने से सूचित किया गया. साथ ही भारत सरकार द्वारा राज्य के राशि रू 49.10 करोड़ के मार्जिन मनी के लक्ष्य संशोधित करते हुए राशि रू 122.74 करोड़ के लक्ष्य निर्धारित किए गए है.

प्रतिनिधि, केवीआईसी ने बताया कि बैंक शाखाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जो ऋण आवेदन पत्र लंबित है उनको शीघ्र निस्तारण के लिए शाखाओं को निर्देशित करने हेतु सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने बैंक नियंत्रकों कार्यालय से भी पीएमईजीपी पोर्टल में नियमित रूप से लॉगिन करने हेतु अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

Special Central Assistance Scheme SC/ST

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति से आग्रह किया कि योजना के 31560 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1238 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 3.92% उपलब्धि है. सभी बैंकों से वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास के लिए अनुरोध किया. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्य 6395.67 करोड़ रू के सापेक्ष 30 जून 2017 तक 2138.78 करोड़ रू के ऋण बैंकों ने वितरण कर दिये हैं जो कि 33.44% उपलब्धि रही है.

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों के 4538 संचयी (Cummulative) ऋण आवेदन पत्र एवं राशि रू 25.37 करोड़ स्वीकृत की जा चुकी है एवं 5245 विचाराधीन ऋण आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किये जाने का बैंकों से अनुरोध किया.

भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाईयों को वित्तपोषण करने के रखे हुए हैं एवं बैंक शाखाओं द्वारा केवल 682 आवेदन पत्रों में ही ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि मात्र 6.20% है. उन्होनें लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया.

उपनिदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार ने बताया कि दिनांक 17 सितंबर, 2017 को आयोजित एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) को संशोधित करते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणा की गई जो निम्नानुसार है :

1. भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के तहत ब्याज अनुदान 4% की जगह अब 8% कर दिया गया है.
2. भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के तहत ऋण सीमा राशि रू 10 लाख की जगह राशि रू 25 लाख कर दी गई है.

उन्होनें बैंक शाखाओं में लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया.

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13868 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 226 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 1864 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

प्रतिनिधि जिला कलेक्टर कार्यालय, कोटा ने बताया कि केंद्र एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम यथा NULM, BRSY, PMEGP इत्यादि के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबे समय से लंबित है जिसको शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता है एवं स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना की शाखाओं के कर्मचारियों एवं आमजन में जानकारी का अभाव है अतः इसकी अधिकाधिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है. साथ ही उन्होने बताया कि कैथून ब्लॉक में बुनकर को मुद्रा योजना में लाभान्वित करने हेतु लगभग 1600 ऋण आवेदन पत्र लंबित है.

जिला प्रबन्धक, एनयूएलएम, कोटा ने बताया कि जिला कोटा में एनयूएलएम योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत करने के पश्चात भी बैंक शाखाओं में लंबे समय से ऋण वितरण के लिए लंबित है जो कि चिंताजनक है एवं उक्त ऋण आवेदन पत्रों में शीघ्र ऋण वितरण की आवश्यकता है.

प्रतिनिधि, राष्ट्रीय ऊद्यानिकी विभाग ने बताया कि जिला बाड़मेर में ऊद्यानिकी के ऋण प्रस्ताव आईडीबीआई बैंक की शाखाओं में काफी समय से लंबित है जिनका शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता है.

प्रतिनिधि, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि बैंक शाखाओं द्वारा DEEDS एवं PEDS योजना के तहत ऋण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे है. साथ ही उन्होने बताया कि DEEDS योजना के तहत लंबित आवेदन पत्रों में ऋण वितरण की शीघ्र कार्यवाही करें ताकि योजनान्तर्गत अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2017 तक अधिकाधिक आवेदकों को लाभ मिल सकें

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सभी बैंक नियंत्रकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए :

1. शाखाओं को निर्देशित करें कि DEEDS योजना के तहत बिना किसी कारण के ऋण आवेदन पत्र अस्वीकार नहीं करें एवं योजना की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2017 से पूर्व लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करें.
2. Rural Godown Scheme योजनान्तर्गत नाबार्ड, डीएमआई एवं वित्त पोषित बैंक के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है. शाखाओं को निर्देशित करें कि Rural Godown Scheme में लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करे एवं योजनान्तर्गत किए जा रहे संयुक्त निरीक्षण में सहयोग करें.
3. इस वित्तीय वर्ष में ई-शक्ति प्रोजेक्ट में राजस्थान के 7 जिलों यथा अलवर, अजमेर, झुंझुनु, कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर एवं उदयपुर को और शामिल किया गया है. बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिये कि उक्त जिलों की बैंक शाखाओं में स्वयं सहायता समूह के बचत खातों के विवरण भी ऑनलाइन करवाएं.
4. बीकानेर एवं झालावाड़ जिलें में ई-शक्ति प्रोजेक्ट के तहत बैंक शाखाओं द्वारा एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज नहीं किया जा रहा है. बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिये कि उक्त जिलों की बैंक शाखाओं में स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज करने के लिए निर्देशित करें.
5. उन्होने राजस्थान में वर्ष दर वर्ष साख जमा अनुपात में आ रही गिरावट के बारे में चिंता व्यक्त की.
6. भारत सरकार द्वारा ग्राउंड लेवल क्रेडिट के लक्ष्यों के तहत कुल ऋण का 32 प्रतिशत सावधी ऋण के लक्ष्य रखे है जबकि हमारे राज्य में वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के तहत कुल ऋण का 22 प्रतिशत सावधी ऋण के लक्ष्य रखे है. बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिये कि उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्ययोजना की क्रियांवती करें.
7. प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत नाबार्ड द्वारा पूरे भारत वर्ष में 1.00 लाख गांवो में जल अभियान चलाया गया है जिसमें से राजस्थान में 6500 गाँव को कवर किया गया है. जिसके तहत जल संचयन एवं संरक्षण के लिए ढांचा स्थापित किया गया है एवं उक्त ढांचों के आधारभूत विकास के लिए बैंक उक्त प्रोजेक्ट्स को वित्त पोषित करने की संभावनाएं तलाशे.
8. नाबार्ड के एफ़आईएफ़ के तहत बैंकों को सोलर वी-सैट लगाने, माइक्रो पोस मशीन, गोइंग डिजिटल केम्प के लिए बैंकों को स्वीकृत निधि का क्लेम करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए.
9. भीम कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत प्रोत्साहन एवं व्यापारियों के लिए केश-बैक योजना को नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
10. समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश दिए कि कृषकों को किसान रूपे कार्ड को अधिकाधिक जारी करने एवं उक्त रूपे कार्ड को एक्टिवेट करवाने के लिए शाखाओं को निर्देशित करें
11. कॉ-आपरेटिव बैंक के नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए कि वार्षिक साख योजना के तहत प्राप्त लक्ष्यों को ही अंतिम लक्ष्य रखे उसके अलावा बैंक शाखाओं को अन्य लक्ष्य प्रदान नहीं करें.

साथ ही अंत में एसएलबीसी, राजस्थान की सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की एवं राज्य के विकास में एसएलबीसी की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री महोदय की कृषकों की 2022 तक आय को दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा व्यक्त करते हुए सभी बैंक नियंत्रकों से सहयोग की अपील की.

एजेण्डा क्रमांक - 6

Rural self Employment Training Institute (RSETI)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 35 RSETI/RUDSET संचालित हैं एवं वर्ष 2017-18 की जून 2017 तिमाही में आरसेटी संस्थानों द्वारा 5999 प्रार्थियों को प्रशिक्षित कर उनमें से 1194 व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया है. राज्य में सभी आरसेटी की समेकित व्यवस्थापन दर 68.73 % रही है, जिनमें से 46.41% लोगो को बैंक ऋण से व्यवस्थापित किया गया है.

RSETI- Status of Building Construction (Summary)

उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के 15 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 11 जिलों में भूमि आवंटन के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. राज्य सरकार से इन प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया.

Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 68 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से जून 2017 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 708 एवं पार्ट बी के लिए 945 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेण्डा क्रमांक - 7

Performance under CGTMSE

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत राज्य में मार्च 2017, तिमाही तक 13392 उद्यमियों को एवं राशि 529 करोड़ रू को कवर किये जाने से समिति को अवगत करवाया एवं योजनान्तर्गत बैंकों से कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया.

एजेण्डा क्रमांक - 8

शिक्षा ऋण (Education Loan)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में राज्य में 3438 छात्रों को राशि रू 112.30 करोड़ के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल बकाया राशि रू 1712.88 करोड़ होने से अवगत करवाया.

एजेण्डा क्रमांक - 9

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2017 तक 1019 इकाइयों को राशि रू 9.09 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2017 तक 274 इकाइयों को 2.00 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. उन्होने बैंको से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास करें. **(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)**

उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संदीप भटनागर द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****